भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 849

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक खाद्य उत्पाद

849. डॉ.दग्गुबाती पुरंदेश्वरी :
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा सतत् पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद आधारित खाद्य नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु कोई रणनीति लागू की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आयुर्वेद आहार की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और वैश्विक खाद्य सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों के साथ किस प्रकार जोड़ा गया है;

(ग) सरकार द्वारा आयुर्वेद-केंद्रित स्टार्टअप्स में निवेश को प्रोत्साहित करने और मुख्यधारा में मौजूद बाजारों में उक्त स्टार्टअप्स के एकीकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) सरकार आयुर्वेदिक खाद्य उत्पादों के स्वाद और समावेशिता से संबधित सार्वजनिक गलतफहमियों को दूर करने के लिए किस प्रकार की योजना बना रही है; और

(ङ) क्या आयुर्वेद आहार के लिए वैश्विक बाजारों में उक्त की पहुंच का विस्तार करने के लिए कोई विशिष्ट निर्यात संबर्धन संबंधी पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): सतत पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद आधारित खाद्य नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित रणनीतियां निम्नप्रकार हैं:

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (आयुर्वेद आहार) विनियम, 2022 [एफएसएस (एए) प्रकाशित किए हैं। इन विनियमों के अनुसार, "आयुर्वेद आहार" का अभिप्राय ऐसे खाद्य से है जो इन विनियमों की "अनुसूची-क" के तहत सूचीबद्ध आयुर्वेद की प्राधिकृत पुस्तकों में विहित विधि के अनुसार व्यंजनों या अवयवों या प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किया गया हो। विनियमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- श्रेणी-क - अनुसूची-क में सूचीबद्ध पुस्तकों में प्राधिकृत आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार तैयार किया गया आयुर्वेद आहार।

- कैटेगरी-ख - अनुसूची-क में सूचीबद्ध पुस्तकों में प्राधिकृत आयुर्वेद ग्रंथों में सूचीबद्ध सामग्री का उपयोग करके आयुर्वेद आहार का एक नया नुस्खा, आयुर्वेद आहार सिद्धांतों (अर्थात रस गुण, वीर्य विपाक, और कर्म) में उपयोग की जाने वाली अन्य वनस्पति के साथ।
- श्रेणी-ख1 - अनुसूची-क में सूचीबद्ध प्राधिकृत ग्रंथों में निर्दिष्ट तरीके से अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया आयुर्वेद आहार।
- श्रेणी-ख2 - आयुर्वेद आहार का उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है, या एक सहायक आहार के रूप में, ऐसे किसी विशिष्ट रोग या विकार की स्थिति में मदद करना है जो प्राधिकृत ग्रंथों में विनिर्दिष्ट है/या निर्दिष्ट नहीं है (विशिष्ट चिकित्सा उद्देश्य के लिए 'क' में आयुर्वेद आहार)।

2. आयुष मंत्रालय, आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष में सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित करता है। इसका उद्देश्य देशभर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचना है। यह योजना, राष्ट्रीय/राज्य आरोग्य मेलों, योग उत्सवों, आयुर्वेद पर्वों आदि के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय, आयुष पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मल्टी मीडिया, प्रिंट मीडिया अभियान भी चलाता है।

3. राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी) ने आयुर्वेदिक सिद्धांतों के आधार पर पोशक कुकीज, एनी ब्रेड, सुमित जैम, जीतायु चाय, एनपी क्वेंची ड्रिंक, एजी केचप, फुल मून चॉकलेट जैसे कुछ आयुष आहार तैयार किए हैं। आरएवी ने खाद्य तैयार करने में आयुर्वेदिक स्नातकों को प्रशिक्षित करने और उनमें उद्यमिता गुण विकसित करने के लिए एनआईएफटीईएम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के सहयोग से इसी तरह की प्रशिक्षण व्यवस्था की गई। आरएवी ने पिछले 18 महीनों में करीब 120 आयुर्वेदिक स्नातकों को प्रशिक्षित किया है। सभी उत्पाद केवल एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त विनिर्माताओं के माध्यम से बनाए जाते हैं ताकि उत्पादों के मानकों को बनाए रखा जा सके/सुनिश्चित किया जा सके।

4. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), आयुर्वेद-आधारित खाद्य नवाचारों से संबंधित विभिन्न पीजी, पीएचडी और अनुसंधान परियोजनाएं चलाता है। ये पहल स्थायी पोषण लक्ष्य के लिए आयुर्वेदिक आहार सिद्धांतों का पता लगाती हैं और उन्हें मान्य करती हैं। एआईआईए आयुर्वेदिक खाद्य नवाचारों पर केंद्रित शोध और शोध प्रबंधों का भंडार भी रखता है।

(ख): आयुर्वेद आहार और इसके तत्व, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ एवं अवशेष) विनियमन, 2011 तथा समस्त खाद्य मानकों का भी पालन करेंगे, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं।

(ग): आयुर्वेद-केंद्रित स्टार्टअप में निवेश को प्रोत्साहित करने और मुख्यधारा में मौजूद बाजारों के साथ उन्हें जोड़ने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम निम्नप्रकार हैं:

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली आयुर्वेद-आधारित नवाचारों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, अनुसंधान सहायता तथा प्रमाणन प्रदान करके आयुर्वेद-केंद्रित स्टार्टअप को बढ़ावा देता है। एआईआईए, आयुर्वेद-आधारित खाद्य व्यंजनों और उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न मेलों तथा

प्रदर्शनियों में भी भाग लेता है, जिससे स्टार्टअप्स को मुख्यधारा में मौजूद बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, एआईआईए ने आयुर्वेद-आधारित खाद्य एवं आरोग्य स्टार्टअप के लिए तकनीकी और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करने के लिए एनआईएफटीईएम (राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ): आयुर्वेदिक खाद्य उत्पादों से संबंधित सार्वजनिक ग़लतफहमियों को दूर करने और उनकी व्यापक स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने निम्नलिखित पहलें की हैं:-

1. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) आयुर्वेदिक खाद्य उत्पादों के स्वाद और अनुकूलनशीलता के बारे में ग़लतफहमियों को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसे हासिल करने के लिए, एआईआईए:

- आयुर्वेदिक भोजन के लाभों और स्वादिष्टता के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए रोगी प्रतीक्षा क्षेत्रों में जन जागरूकता व्याख्यान आयोजित करता है।
- व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से सोशल मीडिया पोस्ट साझा करता है।
- वैज्ञानिक रूप से समर्थित जानकारी प्रदान करने के लिए आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) सामग्री वितरित करता है।
- व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से सोशल मीडिया पोस्ट साझा करें।

2. इसके अलावा, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी) ने विभिन्न मंचों पर अपने अभियान के माध्यम से यह स्थापित किया है कि आयुष आहार न केवल स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि स्वादिष्ट भी है। यह देखा गया है कि ऐसी वस्तुओं की भारी मांग है और यह हाल ही में संपन्न हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान देखा गया है, जिसमें आरएवी बिना किसी विज्ञापन के 1 लाख रुपये से अधिक के खाद्य पदार्थों को बेचने में सक्षम रहा। यह दर्शाता है कि लोग स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन का समर्थन करते हैं।

(ङ): वैश्विक बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए आयुर्वेद आहार के लिए निर्यात संवर्धन पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

1. वर्ष 2023 और 2024 में मंत्रालय ने अभिनव आयुष आहार उत्पादों को प्रदर्शित करते हुए क्रमशः दिनांक 3 से 5 नवंबर, 2023 तक और दिनांक 19 से 22 सितंबर, 2024 तक "वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट" में भागीदार के रूप में भाग लिया है।
2. वर्ष 2023 में, देशभर के अठारह स्टार्ट-अप ने प्रगति मैदान में मंत्रालय के मंडप में 30 से अधिक नव विकसित उत्पादों का प्रदर्शन किया। आयुष आहार पर एक विशेष सत्र में आयुष आहार के स्वास्थ्य लाभों और दैनिक जीवन में आयुर्वेद को शामिल करने की रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया। चर्चा में आयुष क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने, यूनिकॉर्न के साथ जुड़ने और नए स्टार्ट-अप का समर्थन करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

3. वर्ष 2024 में, 1200 प्रदर्शकों में से 10 स्टार्टअप ने भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में मंत्रालय के मंडप में भाग लिया। दिनांक 20 सितंबर, 2024 को 'पोषण में क्रांति: सतत विश्व के लिए आयुष खाद्य नवाचार' शीर्षक से सत्र आयोजित किया गया जिसने आयुर्वेदिक पद्धतियों और उत्पादों की वैश्विक क्षमता का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। इसने उद्योगों के प्रमुखों, नीति निर्माताओं और स्टार्टअप सहित हितधारकों के एक विविध समूह को यह पता लगाने के लिए एकत्र किया कि आयुष खाद्य पदार्थों और पौष्टिक-औषधीय पदार्थों को कैसे समृद्ध किया जा सकता है। चर्चा में आयुष उत्पादों के लाभ तथा अनुकूलन से लेकर स्टार्टअप विकास और बाजार विस्तार हेतु रणनीतियों तक कई विषयों को शामिल किया गया।

4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश को आकर्षित करके वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करने के लिए, इस कार्यक्रम ने दुनिया भर के प्रतिनिधियों को एकत्र किया, जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में भारत की बढ़ती प्रसिद्धि को उजागर करता है।

***